

जयराम रमेश ने राजीव गांधी को बताया 'असाधारण राजनेता', मिजोरम समझौते का किया जिक्र

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि आज हो के दिन 40 वर्ष पहले हुए मिजोरम शांति समझौते पर हस्ताक्षर से वर्षों से जारी उग्रवाद का अंत हुआ था और यह राग के इतिहास में वास्तव में परिवर्तनकारी दिन था। उन्होंने यह भी कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के दो महीने बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने असाधारण राजनेता होने का परिचय देते हुए अपने पार्टी सहयोगी लाल धानावला को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए राजी किया, जबकि लालधेरा मिजोरम के मुख्यमंत्री बन सके। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, आज से ठीक 40 वर्ष पहले ऐतिहासिक मिजोरम शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

बहुजन हिताय!

बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत



राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat.net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 231 ● नई दिल्ली ● बुधवार 01 जुलाई 2026 ● प्रभात कालीन

● मूल्य: 3 रूपया

● पृष्ठ: 4

आयुष्मान भारत में जुड़ेगा लिवर ट्रांसप्लांट? डॉ. सरिन की मांग पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिया बड़ा सुझाव

नई दिल्ली।

यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस) के 10वें दीक्षांत समारोह में मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश में लिवर रोग तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती बन चुके हैं। इस बीच आईएलबीएस के कुलाधिपति डॉ. एसके सरिन ने केंद्रीय मंत्री से लिवर ट्रांसप्लांट को भी आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित करने की मांग की। इस पर नड्डा ने उन्हें एक बड़ा सुझाव दिया। 58 विद्यार्थियों को मिले सर्टिफिकेट।

पाठ्यक्रमों की उपाधियां, प्रमाणपत्र और पदक प्रदान किए गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह तथा आईएलबीएस के कुलाधिपति डॉ. एसके सरिन भी मौजूद रहे। बन रहें अनेक गैर-संचारी बीमारियों की जड़ अपने संबोधन में डॉ. सरिन ने कहा कि वर्तमान समय में देश का हर तीसरा व्यक्ति फैटी लिवर से प्रभावित है। यह केवल लिवर की बीमारी नहीं बल्कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर और गुर्दा रोग जैसी अनेक गैर-संचारी बीमारियों की जड़ बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि समय पर जांच, जागरूकता और जीवनशैली में सुधार के जरिए इस खतरे को काफी हद तक रोका जा सकता है। 10,800 से ज्यादा लिवर आपातकालीन केस सुलझाए डॉ. सरिन ने संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्ष 2025 में आईएलबीएस में 1.60 लाख से अधिक मरीजों का उपचार



किया गया तथा 10,800 से ज्यादा लिवर आपातकालीन मामलों का प्रबंधन किया गया। संस्थान अब तक 1,392 सफल लिवर प्रत्यारोपण कर चुका है, जबकि पिछले वर्ष 160 लिवर प्रत्यारोपण किए गए। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के तहत गुर्दा प्रत्यारोपण करने वाला आईएलबीएस एकमात्र संस्थान है, जहां अब तक 372 किडनी प्रत्यारोपण हो चुके हैं

और इनमें 29 प्रतिशत लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं। कई नए उच्च स्तरीय कोर्स भी शुरू किए उन्होंने यह भी बताया कि आईएलबीएस में देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय लिवर रोग बायोबैंक विकसित किया गया है, जिसमें 65 लाख जैविक नमूनों को संरक्षित करने की क्षमता है। संस्थान में कृत्रिम

बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग केंद्र, सेल थैरेपी यूनिट, डिजिटल पैथोलॉजी और कई नए उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना में लिवर प्रत्यारोपण शामिल हो डॉ. सरिन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि आयुष्मान भारत योजना में लिवर प्रत्यारोपण को भी शामिल किया जाए, ताकि जरूरतमंद मरीजों को जीवनरक्षक उपचार उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने राष्ट्रीय फैटी लिवर नियंत्रण अभियान शुरू करने का भी सुझाव दिया। सुपर स्पेशियलिटी शिक्षा पर जोर जेपी नड्डा ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश ने पिछले एक दशक में अभूतपूर्व विस्तार देखा है। उन्होंने नवस्रातकों से करुणा, संवेदनशीलता और उच्च नैतिक मूल्यों के साथ समाज की सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशियलिटी शिक्षा एक

विशेष अवसर है और इसे समाज को लौटाने की जिम्मेदारी के रूप में देखा चाहिए। लाखों लोगों को करेंगे जागरूक समारोह में आईएलबीएस की उपलब्धियों, शोध कार्यों और राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे स्वस्थ यकृत अभियानों की भी जानकारी दी गई। संस्थान ने मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में लिवर रोगों की स्क्रीनिंग और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनके माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंच बनाई जा रही है। दीक्षांत समारोह के अंत में विद्यार्थियों को चिकित्सा, अनुसंधान और मानव सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने का संकल्प दिलाया गया। आईएलबीएस ने अगले चरण में नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चिकित्सा, कोशल विकास और देशभर में उपग्रह केंद्र स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प भी दोहराया।

द्वारका सेक्टर-24 शमशान घाट प्रबंधन को लेकर विवाद, श्री गुरु सिंह सभा को परिसर खाली करने का नोटिस

नई दिल्ली। द्वारका के सेक्टर-24 स्थित शमशान घाट के प्रबंधन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 2021 से यहां रोजमर्रा का संचालन संचालन रही द्वारका के श्री गुरु सिंह सभा (पंजीकृत) को अब दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की ओर से कथित परिसर तुरंत खाली करने का नोटिस दिया गया है। संस्था का दावा है कि शमशान घाट का प्रबंधन अब किसी अन्य एनजीओ को सौंपा जा रहा है। सभा के अनुसार, परिसर में कई जनसुविधाएं शुरू की गईं। उनका दावा है कि अंतिम यात्रा वैन की मुफ्त सेवा, शवों के लिए डीप फ्रीजर, जलकृतमंदों और सैनिकों के लिए निशुल्क दाह संस्कार व्यवस्था, पेयजल सुविधा, नए घाट का निर्माण, अस्थि गृह, बागवानी, शेड और बैठने की व्यवस्था शामिल है। श्री गुरु सिंह सभा के सचिव दिवेंद्र पाल सिंह ने इस मामले को लेकर ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन (एडीआरएफ) के अध्यक्ष अजीत स्वामी को पत्र लिखा है। पत्र में संस्था ने बताया कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में शमशान घाट पर कई सुविधाएं विकसित की हैं। साथ ही, सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया है। संस्था ने पत्र में यह भी कहा कि उन्होंने स्थानीय निवासियों और एडीआरएफ के सुझावों को लागू करने का प्रयास किया, लेकिन अब उन्हें अचानक परिसर खाली करने का आदेश मिला है, जिससे वे आश्चर्य और असंतोष में हैं। दिवेंद्र पाल सिंह का कहना है कि यह फैसला बिना स्पष्ट कारण के लिया गया है। साथ ही, प्रबंधन किसी अन्य एनजीओ को सौंपने की बात सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। एडीआरएफ ने एमसीडी के उस फैसले पर चिंता जताई है, जिसमें 2021 से शमशान घाट का संचालन कर रही द्वारका के श्री गुरु सिंह सभा से प्रबंधन वापस लेकर किसी अन्य संस्था को सौंपने की बात कही गई है। एडीआरएफ के अध्यक्ष अजीत स्वामी ने कहा कि प्रशासन को इस मुद्दे पर जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अंतर्गत और संतुलित निर्णय लेना चाहिए। एडीआरएफ का कहना है कि कोविड काल सहित पिछले कई सालों में श्री गुरु सिंह सभा ने इस शमशान भूमि का संचालन सेवा भाव और समर्पण के साथ किया है। इस दौरान परिसर की साफ-सफाई, सीढ़ीकरण और बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया गया।

रिपोर्ट में खुलासा- देश का सबसे बड़ा ओजोन हॉटस्पॉट बना दिल्ली-एनसीआर, हर दिन मानक से यादा स्तर; रात भी जहरीली

नई दिल्ली। वायु प्रदूषण का संकेत अब केवल सर्दियों के धूप और पीएम 2.5 तक सीमित नहीं रह गया है। बल्कि दिल्ली-एनसीआर अब देश का सबसे बड़ा जमीनी स्तर का ओजोन हॉटस्पॉट बन चुका है। गर्मियों के दौरान यहां लगभग हर दिन ओजोन का स्तर राष्ट्रीय मानक से ऊपर दर्ज किया गया। इसकी गवाही सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की हालिया रिपोर्ट देती है। नए शोध में साल 2021 से 2026 के बीच के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इसके अनुसार, 1 मार्च से 10 मई 2026 के बीच 71 दिनों की अध्ययन अवधि में दिल्ली-एनसीआर में हर दिन ओजोन का आठ घंटे का औसत स्तर राष्ट्रीय मानक (100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) से अधिक रहा। प्रतिदिन औसतन 8.79 स्टेशन मानक से ऊपर राजधानी के मॉनिटरिंग नेटवर्क में प्रतिदिन औसतन 8.79 स्टेशन मानक से ऊपर रिकॉर्ड हुए, जबकि एनसीआर के अन्य शहरों में औसतन 3.2 स्टेशन योजना सीमा से अधिक स्तर दर्ज कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के पूसा और आईएमडी परिसर के अलावा ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क-5, नोएडा



सेक्टर-125 और गाजियाबाद के वसुंधरा क्षेत्र ओजोन प्रदूषण के प्रमुख हॉटस्पॉट बनकर सामने आए हैं। साथ ही, ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क-5 में 71 दिनों में से 44 दिन ओजोन का स्तर तय मानक से ऊपर दर्ज किया गया। गर्मी और हीटवेव के दौरान रात में भी ओजोन का स्तर सुरक्षित सीमा से ऊपर रिपोर्ट में एक और चिंताजनक बात सामने आई है कि दिल्ली-एनसीआर में ओजोन अब केवल दिन की समस्या नहीं रही। गर्मी और हीटवेव के दौरान रात में भी ओजोन का स्तर सुरक्षित

सीमा से ऊपर बना रहता है। अध्ययन के दौरान दिल्ली-एनसीआर में 46 रात में ओजोन का स्तर मानक से अधिक दर्ज किया गया, जो देश में सबसे यादा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ओजोन प्रदूषण अब केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं है। मुंबई में पूरे वर्ष कई महीनों तक ओजोन का स्तर ऊंचा बना रहा, जबकि चेन्नई में अचानक ओजोन बढ़ने की घटनाएं सामने आईं। इसके अलावा, बेंगलुरु में लंबे समय तक लोगों के ओजोन के संपर्क में रहने की स्थिति दर्ज की गई। रिपोर्ट की सिफारिश...

-राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी 2.0) में ओजोन को शामिल करें -पूरे एयरशेड के आधार पर क्षेत्रीय रणनीति बनाएं -परिवहन, उद्योग और कचरा जलाने से होने वाले उत्सर्जन पर सख्ती से नियंत्रण विशेषज्ञ बाइट दिल्ली-एनसीआर में ओजोन प्रदूषण अब स्थानीय नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की समस्या बन चुका है। इसलिए केवल धूल और पीएम 2.5 पर ध्यान देने के बजाय ओजोन बनाने वाली गैसों (नाक्स और वॉक्स) के उत्सर्जन को भी नियंत्रित करना जरूरी है। -अनुमिता रॉयचौधरी, कार्यकारी निदेशक, सीएसई जमीन के स्तर पर ओजोन का स्तर बढ़ रहा छह साल के डेटा से पता चलता है कि जमीन के स्तर पर ओजोन का स्तर बढ़ रहा है। ऐसे दिनों की संख्या बढ़ रही है, जब यह तय मानकों से अधिक हो जाता है, खासकर गर्मियों में इसके संपर्क में रहने का समय बढ़ रहा है और वायुमंडलीय ट्रैपिंग के कारण रात में भी यह बना रहता है। -शरणजीत कौर, डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर, अर्बन लेब, सीएसई।

राजनाथ सिंह का बड़ा बयान- मजबूत अर्थव्यवस्था, Tech और सुरक्षा से बनेगा विकसित भारत



नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि वाइब्रेंट गुजरात प्लेटफॉर्म एक देशव्यापी आंदोलन बन गया है जो विकसित भारत के विज़न में योगदान दे रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्था, तकनीकी क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा मिलकर एक मजबूत राष्ट्र की नींव बनाते हैं। वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि यह पहल नए विचारों और अवसरों के जरिए गुजरात को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा यह नए विचारों और नई संभावनाओं के जरिए गुजरात को आगे ले जाने की कोशिश है। मैंने यहाँ लगी प्रदर्शनी भी देखी। इसमें इंडस्ट्री, स्ट्रक्चर, आदिवासी

उत्पादों और भारी उद्योगों सहित कई क्षेत्रों की भागीदारी है। रक्षा उद्योग में हो रहा काम भी तारीफ के काबिल है। आप हमें प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। देश के लिए गुजरात के योगदान की तारीफ करते हुए सिंह ने कहा कि राय ने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कई महान नेता दिए हैं। उन्होंने कहा गुजरात ने देश को महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल दिए, और इसी धरती ने भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिए। जब 77से वे प्रधानमंत्री बने हैं, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज जब भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बोलता है, तो दुनिया ध्यान से सुनती है। इसका श्रेय नरेंद्र मोदी

को जाता है, जिनका जन्म एक गुजराती माँ की कोख से हुआ था। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात पहल शुरू की थी, जो पिछले दो दशकों में एक बड़े आंदोलन में बदल गई है। समयऔर कैलेंडर उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात मंच गुजरात के लोगों और उद्योगों की जीवंतता को दर्शाता है। इसकी शुरुआत 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। आज यह विकसित भारत के विज़न से जुड़ा एक व्यापक आंदोलन बन गया है। पिछले दो दशकों में इसने गुजरात में अभूतपूर्व बदलाव लाए हैं और आज गुजरात भारत का विकास इंजन बन गया है। सम्मेलन में अपनी भागीदारी के महत्व को समझाते हुए सिंह ने कहा कि आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का यह पृष्ठना स्वाभाविक है कि रक्षा मंत्री का वाइब्रेंट गुजरात से क्या लेना-देना है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था ही सुरक्षित राष्ट्र की नींव रखती है। रक्षा क्षेत्र का विकास केवल हथियार बनाने तक ही सीमित नहीं है; यह एक व्यापक आर्थिक इकोसिस्टम को भी गति देता है।

इन गलतियों के कारण कट सकता है वोटर लिस्ट से नाम

नई दिल्ली।

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत 30 जून यानी आज से होने जा रही है। इस अभियान के तहत बुध लेवल ऑफिसर हर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता से लगातार तीन बार संपर्क की कोशिश के बाद भी सत्यापन नहीं हो पाता या रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलती है, तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाने की कार्यवाही की जा सकती है। इसी अभियान के दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़े भी जाएंगे और अपात्र नाम हटाए जाएंगे। दिल्ली की मौजूदा मतदाता सूची में कुल 1,45,10,298 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 77,11,132 पुरुष, 67,98,142 महिलाएं और 1,024 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। जनवरी 2026 के बाद से 16 जून तक 2,48,992 नए मतदाता भी सूची में जोड़े जा चुके हैं। अब एसआईआर अभियान के जरिए इन सभी रिकॉर्ड का दोबारा सत्यापन

किया जाएगा, पूरे अभियान के लिए 13,033 बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। इनके साथ विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से अधिकृत 32,429 बीएलए-2 भी प्रक्रिया की निगरानी और सहयोग करेंगे। बीएलओ घर-घर जाकर एन्यूसेंसेस फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और जरूरी जानकारी का मिलान करेंगे। हाल में दिल्ली में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के कारण कई परिवार प्रभावित हुए हैं। ऐसे लोगों को एसआईआर प्रक्रिया से बाहर न रहना पड़े, इसके लिए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग से विशेष व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। जिन लोगों के पास स्थायी आवास नहीं है, उन्हें भी उनके द्वारा दर्ज कराए गए पोल नंबर या उपलब्ध पते के आधार पर फॉर्म उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। किन परिस्थितियों में हट सकता है आपका नाम मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान पांच प्रमुख कारणों से नाम हटाया जा सकता है। यदि बीएलओ तीन

अलग-अलग अवसरों पर सत्यापन के लिए पहुंचे और हर बार संबंधित मतदाता उपलब्ध न मिले, तो उसका नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसी तरह दूसरे पते पर रहने के बावजूद पता अपडेट नहीं कराने वाले मतदाता भी कार्यवाही के दायरे में आएंगे, इसके अलावा जिन लोगों का निधन हो चुका है, उनके नाम सूची से हटाए जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज पाया जाता है, तो एक स्थान से नाम हटाया जाएगा। विदेशी नागरिक भी इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में शामिल नहीं रहेंगे। 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। 5 अगस्त 2026 को प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। 5 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच इन सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी।

सम्पादकीय...

आपदा और चुनौतियां

दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की राजधानी काराकास और आसपास के क्षेत्रों में आए 4.6 तीव्रता के शक्तिशाली आपटरशांक ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि भूकंप के बाद आने वाले झटके भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं जितना कि मुख्य भूकंप। भूकंप के बाद कई दिनों या कई सप्ताह तक महसूस होने वाले ये झटके पहले से कमजोर हो चुकी इमारतों, सड़कों और अन्य ढांचों को और अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि विशेषज्ञ मुख्य भूकंप के बाद भी लोगों को लगातार सतर्क रहने को सलाह देते हैं। जानकारी के अनुसार, काराकास और उत्तरी वेनेजुएला के कई हिस्सों में इस आपटरशांक के झटके महसूस किए गए। झटकों के कारण लोग अपने घरों और कार्यालयों से बाहर निकल आए। प्रशासन ने तत्काल स्थिति का आकलन शुरू किया और प्रभावित क्षेत्रों में रहत एवं बचाव दलों को सक्रिय कर दिया। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार बड़े पैमाने पर जनहानि की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और क्षतिग्रस्त इमारतों में प्रवेश न करने की अपील की। भूकंप के बाद आने वाले आपटरशांक भूगर्भीय प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा होते हैं। जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें खिसकती हैं, तो मुख्य भूकंप के बाद भी भूगर्भीय तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं होता। इसी कारण छोटे या मध्यम तीव्रता के झटके लगातार आते रहते हैं। कई बार ये झटके इतने शक्तिशाली होते हैं कि पहले से क्षतिग्रस्त भवन ढह जाते हैं और रहत कार्य भी प्रभावित हो जाते हैं। वेनेजुएला भौगोलिक दृष्टि से ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां कैरेबियन और दक्षिण अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियां लगातार होती रहती हैं। इसी कारण यहाँ समय-समय पर भूकंप आते रहते हैं। हालाँकि अधिकांश झटके कम तीव्रता के होते हैं, लेकिन घनो आबादी वाले क्षेत्रों में मध्यम तीव्रता का भूकंप भी व्यापक नुकसान पहुंचा सकता है। राजधानी काराकास देश का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में ऊंची इमारतें, सरकारी संस्थान, अस्पताल, स्कूल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थित हैं। ऐसे में किसी भी भूकंपीय गतिविधि का प्रभाव केवल जनजीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवहन, संचार, बिजली और अन्य आवश्यक सेवाएँ भी प्रभावित हो सकती हैं। आपटरशांक का सबसे बड़ा खतरा उन इमारतों को होता है जो मुख्य भूकंप में पहले ही कमजोर हो चुकी होती हैं। कई बार पहली नजर में सुरक्षित दिखने वाली इमारतें बाद के झटकों में ढह जाती हैं। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसी भी भूकंप के बाद भवनों का तकनीकी निरीक्षण किए बिना उनमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में आधुनिक तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है। भूकंप निगरानी केंद्र, सैटेलाइट आधारित निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रबंधन नेटवर्क प्रशासन को तेजी से निर्णय लेने में मदद करते हैं। हालाँकि भूकंप की सटीक भविष्यवाणी अभी भी संभव नहीं है, लेकिन बेहतर तैयारी से जान-माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन और अनियोजित शहरीकरण के कारण प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यद्यपि भूकंप का सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से नहीं है, लेकिन कमजोर निर्माण, अजयबस्थित शहरी विकास और अपयोज आपदा प्रबंधन व्यवस्था किसी भी भूकंप को अधिक विनाशकारी बना सकती है। इसलिए सुरक्षित भवन निर्माण मानकों का पालन अत्यंत आवश्यक है। भारत जैसे देशों के लिए भी यह घटना महत्वपूर्ण सीख देती है। भारत के कई राय-जैसे हिमालयी क्षेत्र, उत्तर-पूर्व, गुजरात, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली-एनसीआर-भूकंप की दृष्टि से संवेदशील क्षेत्रों में आते हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन की तैयारी, नियमित मौक ड्रिल, भूकंपरोधी निर्माण और नागरिकों में जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ भी लगातार इस बात पर जोर देती हैं कि आपदा प्रबंधन केवल रहत कार्य तक सीमित नहीं होना चाहिए। जोखिम कम करने, सुरक्षित अवसरचना विकसित करने, स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षित करने और त्वरित संचार प्रणाली विकसित करने पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। वेनेजुएला में आए इस आपटरशांक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं के बाद खतरा तुरंत समाप्त नहीं हो जाता। मुख्य भूकंप के बाद आने वाले झटके कई बार अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए प्रशासन और नागरिकों दोनों के लिए सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है। अंततः वेनेजुएला की यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि प्राकृतिक आपदाओं को रोकना नहीं जा सकता, लेकिन वैज्ञानिक तैयारी, मजबूत अवसरचना, प्रभावी आपदा प्रबंधन और जनजागरूकता के माध्यम से उनके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। भविष्य में ऐसे संकटों से निपटने के लिए देशों को केवल रहत कार्यों पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक आपदा-रोधी विकास मॉडल पर भी विशेष ध्यान देना होगा।

तेलंगाना : संगठन, अनुशासन और चुनावी तैयारी पर जोर

तेलंगाना की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयासों में जुटी हुई है। इसी रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नजीन ने हैदराबाद में पार्टी नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर संगठनात्मक मजबूती, अनुशासन और आगामी चुनावों की तैयारियों पर विशेष जोर दिया। बताया गया कि बैठक में उन्होंने नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि केवल अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियों का इंतजार करने से सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि कार्यकर्ताओं और नेताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर स्वयं जीत की परिस्थितियाँ तैयार करनी होंगी। यह बैठक इस बात का संकेत है कि भाजपा तेलंगाना में आगामी स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनावों की लेकर दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रही है। बैठक में नितिन नजीन ने पार्टी के अब तक के प्रदर्शन की समीक्षा की और नेताओं से जमीनी स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती किसी भी चुनावी सफलता का आधार होती है। यदि कुछ स्तर से लेकर जिला स्तर तक पार्टी कार्यकर्ता और नेता एकजुट होकर काम करें, तभी राजनीतिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा ने वहाँ कठिन राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद अपने संगठन का विस्तार किया और प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी। उनका संकेत था कि यदि पश्चिम बंगाल जैसे चुनौतीपूर्ण रा्य में पार्टी अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है, तो तेलंगाना में भी ऐसा करना संभव है। हालाँकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक रा्य की राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग होती हैं और स्थानीय मुद्दों के अनुरूप रणनीति बनाना आवश्यक है। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्देश संगठनात्मक अनुशासन को लेकर था। नितिन नजीन ने नेताओं को आग्रह किया कि निष्कियता और आपसी मतभेद पार्टी की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं।

उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की सफलता उसके अनुशासन और सामूहिक नेतृत्व पर निर्भर करती है। यदि नेता व्यक्तिगत महत्वकांक्षाओं को संगठन से ऊपर रखेंगे, तो चुनावी लक्ष्य हासिल करना कठिन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नेताओं को बाहरी परिस्थितियों या अन्य दलों की कमजोरियों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं जम्मा के बीच जाकर विनाश अभिनय करना चाहिए। लोकतांत्रिक राजनीति में केवल विरोधी दल को काँपियों के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसके लिए मजबूत संगठन, स्पष्ट नीति और जनता के बीच निरंतर संचार आवश्यक होता है। नितिन नजीन ने बैठक में यह भी संकेत दिया कि उन्हें रा्य में चल रही राजनीतिक गतिविधियों और संगठनात्मक स्थिति की पूरी जानकारी मिल रही है। उनका संदेश था कि पार्टी नेतृत्व जमीनी स्तर पर होने वाली गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व संगठनात्मक जवाबदेही को गंभीरता से ले रहा है। बैठक में हैदराबाद और आगामी नगर निकाय चुनावों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई।

हैदराबाद लंबे समय से क्षेत्रीय और अन्य राजनीतिक दलों का मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में भाजपा के लिए शहरी क्षेत्रों में अपनी फकड़ मजबूत करना महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्य हो सकता है। नगर निकाय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन भविष्य के विधानसभा चुनावों के लिए संगठनात्मक आधार तैयार करने में सहायक हो सकता है। तेलंगाना की राजनीति पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदलती है। रा्य में विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपनाग को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे माहौल में भाजपा भी स्वयं को एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके अलावा विस्तार, बुध प्रबंधन, कार्यकर्ता प्रशिक्षण और स्थानीय मुद्दों पर सक्रियता को प्राथमिकता देा जा रही है। राजनीतिक विस्लेषकों का मानना है कि किसी भी रा्य में चुनावी सफलता केवल बड़े नेताओं की सभाओं से नहीं मिलती, बल्कि बुध स्तर पर मजबूत संगठन, स्थानीय नेतृत्व और मतदाताओं से निरंतर संपर्क अधिक महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि भाजपा सभी राष्ट्रीय दल अब संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तेलंगाना जैसे रा्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की राजनीतिक प्राथमिकताएँ अलग-अलग हैं। हैदराबाद जैसे महानगर में विकास, रोजगार, आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाएँ प्रमुख मुद्दे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, मिर्चबूँ, रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाएँ अधिक महत्वपूर्ण रहती हैं। इसलिए ऐतरी भी राजनीतिक दल को क्षेत्रवार रणनीति अपनानी पड़ती है। नितिन नजीन का यह संदेश कि पार्टी पहले और व्यक्तिगत नेतृत्व बाद में संगठनात्मक राजनीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। बड़े राजनीतिक दल अक्सर इसी आधार पर अनुशासन बनाए रखते का प्रयास करते हैं ताकि अंतर्गत मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने न आएँ और संगठन एकजुट दिखाई दें। आने वाले समय में तेलंगाना की राजनीति और अधिक प्रतिस्पर्धी होने की संभावना है। ऐसे में सभी प्रमुख दल अपने संगठन को मजबूत करने, नए मतदाताओं तक पहुँच बनाने और स्थानीय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में प्रयास तेज करेंगे। भाजपा की यह बैठक भी इसी व्यापक चुनावी तैयारी का हिस्सा मानी जा रही है। अंततः हैदराबाद में हुई इस बैठक से यह संकेत मिलता है कि भाजपा तेलंगाना में दीर्घकालिक राजनीतिक विस्तार की रणनीति पर काम कर रही है। संगठनात्मक अनुशासन, जमीनी समन्वय, सक्रिय नेतृत्व और शहरी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान जैसे मुद्दे पार्टी को आगामी चुनावों रणनीति के केंद्र में हैं। आने वाले नगर निकाय और अन्य चुनाव वह रा्य करेंगे कि इन रणनीतियों का राजनीतिक परिणाम कितना प्रभावी साबित होता है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला- राष्ट्रपति की शक्तियां बढीं, लेकिन फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता बरकरार

न्यायमूर्ति सोनिया सोतोमेयर ने अपने असहमति वाले मत में कहा कि इस निर्णय से राष्ट्रपति के हाथों में पहले से अधिक शक्ति केन्द्रित हो जाएगी। उनके अनुसार यह शक्ति संविधान या जनता ने नहीं, बल्कि अदालत के बहुमत ने प्रदान की है। उन्होंने आशंका जताई कि इससे स्वतंत्र संस्थाओं की निष्पक्षता और स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था तीन स्तंभों—कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका—के बीच संतुलन पर आधारित है। स्वतंत्र न्यायमक संस्थाओं की स्थापना भी इसी उद्देश्य से की गई थी कि वे राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर निष्पक्ष निर्णय ले सकें। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले वर्षों में अमेरिकी शासन प्रणाली की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। अंततः यह निर्णय दो महत्वपूर्ण संदेश देता है। पहला, राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों का दायरा पहले की तुलना में काफी बड़ गया है। दूसरा, फेडरल रिजर्व जैसी संस्थाओं की स्वतंत्रता को अभी भी अमेरिकी लोकतंत्र की आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक माना जा रहा है।

अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने एक ऐतिहासिक फैसले में राष्ट्रपति के अधिकारों का दायरा पहले की तुलना में काफी व्यापक कर दिया है। अदालत ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति अधिकांश स्वतंत्र संघीय एजेंसियों के प्रमुखों को अपनी इच्छा से पर से हटा सकते हैं। हालाँकि इसे फैसले में एक महत्वपूर्ण अपवाद भी रखा गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को बनाए रखा जाएगा और फेड को गवर्नर लिस्स कुक को फिलहाल उनके पद से नहीं हटया जा सकता। इस निर्णय ने अमेरिका में कार्यपालिका, न्यायपालिका और स्वतंत्र संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। यह मामला तब सामने आया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिस्स कुक को कथित गैरिज भोलापट्टी के आरोपों के आधार पर पद से हटाने का प्रयास किया। लिस्स कुक ने इन आरोपों से साफ इनकार किया और अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्ग्रहण राइड देते हुए उन्हें उनके पद पर बने रहने की अनुमति दी, जब तक कि उनके खिलाफ चल रही कामूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। इसी के साथ अदालत ने एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उमने वर्ष 1935 के प्रसिद्ध “*पम्प्टेन एण्डबैयूटर *”मामले में दिए गए उस ऐतिहासिक निर्णय को फलट दिया, जिसने लाजपा नी दफनों तक राष्ट्रपति की बखीरगरी संस्वी शक्तियों को सीमित रखा था। उस पुराने फैसले के अनुसार राष्ट्रपति स्वतंत्र एजेंसियों के प्रमुखों को केवल उचित कारण होने पर ही हटा सकते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की गुराशा अमेरिकी संविधान में निहित शक्तियों के पृथकरण के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत का निर्णय लिखते हुए कहा कि कार्यपालिका का संततान राष्ट्रपति के अधीन है और यदि स्वतंत्र एजेंसियों के प्रमुखों को हटाने की शक्ति सीमित कर दी जाए, तो राष्ट्रपति अपने संवैधानिक दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर पाएँ। इस फैसले का सीधा प्रभाव कई संघीय एजेंसियों पर पड़ेगा, जिनमें फेडरल ट्रेड कमिशन , मेरशल लेबर रिलेशंस बोर्ड , फीट सिस्टम प्रोटेक्शन बोर्ड तथा क्युम प्रोडक्ट सेप्टो कमिशन जैसी संस्थाएँ शामिल हैं। हालाँकि अदालत ने फेडरल रिजर्व को अलग श्रेणी में रखा। न्यायलक्ष का मानना था कि यदि राष्ट्रपति को फेड के गवर्नरों को किसी भी समय और बिना किसी न्यायिक समीक्षा के हटाने की अनुमति दे दी जाए, तो केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता गंभीर रूप से प्रभावित होगी। यही कारण है कि पांच न्यायाधीशों ने लिस्स कुक को फिलहाल पद पर बनाए रखने का समर्थन किया। फेडरल रिजर्व अमेरिका की मौद्रिक नीति तय करता है। न्यान दरों का निर्धारण, महंगाई पर नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना उसमें प्रमुख निमेटेडरियाँ हैं। यदि इस मामला पर राजनीतिक प्रभाव बढ़ता है, तो वित्तीय बाजारों का विश्वास कमजोर हो सकता है। इसलिए दुनिया के आर्थिकाल देशों में केंद्रीय बैंकों को पथीय स्वतंत्रता दी जाती है। लिस्स कुक ने अदालत के फैसले के बाद कहा कि यह मामला कभी भी गैरिज दस्तावेजों तक सीमित नहीं था। उनके अनुसार उन्हें केवल इसलिए हटाने की कोशिश की गई क्योंकि उन्होंने राजनीतिक दबाव के आगे झुकने से इनकार किया और न्यान दरों से जुड़े निर्णय केवल आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर लिए। उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व के गवर्नर का सबसे बड़ा दायित्व अमेरिकी जनता के हित में स्वतंत्र निर्णय लेना है। दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले को अपनी बड़ी जीत बताया।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करता है और भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक मिसाल बनेगा। ट्रंप लंबे समय से फेडरल रिजर्व की न्यान दर नीति की आलोचना करते रहे हैं। उनका मानना है कि न्यान दरों में तेजी से कटौती होने से सरकार के लिए कर्ज लेना सरत होगा और आम नागरिकों को पर, बहन तथा अन्य ऋण कम न्यान दर पर मिल सकेगे। हालाँकि फेडरल रिजर्व के कई नीति निर्माताओं का मत है कि महंगाई अभी भी चिंता का

विषय बनी हुई है। ऐसे में न्यान दरों में जल्दबाजी में कटौती करने से मुद्रास्फीति दोबाघ बढ़ सकती है। यही कारण है कि फेड अब तक अपनी नीतिगत दरों में सावधानी बरतता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर केवल अमेरिका की राजनीति तक सीमित नहीं होगा। इसका प्रभाव वैश्विक वित्तीय बाजारों, निवेशकों के विश्वास और अमेरिकी संस्थागत व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। यदि भविष्य में राष्ट्रपति स्वतंत्र एजेंसियों पर अधिक निर्वहन स्थापित करते हैं, तो वह अमेरिकी प्रशासनिक ढांचे की पारंपरिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। फैसले का विशेष करने वाले न्यायाधीशों ने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए चिंतनजनक बताया। न्यायमूर्ति सोनिया सोतोमेयर ने अपने असमर्थित वाले मत में कहा कि इस निर्णय से राष्ट्रपति के हाथों में पहले से अधिक शक्ति केन्द्रित हो जाएगी। उनके अनुसार यह शक्ति संविधान या जनता ने नहीं, बल्कि अदालत के बहुमत ने प्रदान की है। उन्होंने आशंका जताई कि इससे स्वतंत्र संस्थाओं की निष्पक्षता और स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था तीन स्तंभों—कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका—के बीच संतुलन पर आधारित है। स्वतंत्र न्यायमक संस्थाओं की स्थापना भी इसी उद्देश्य से की गई थी कि वे राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर निष्पक्ष निर्णय ले सकें। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के यह फैसला आने वाले वर्षों में अमेरिकी शासन प्रणाली की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। अंततः यह निर्णय दो महत्वपूर्ण संदेश देता है। पहला, राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों का दायरा पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है। दूसरा, फेडरल रिजर्व जैसी संस्थाओं की स्वतंत्रता को अभी भी अमेरिकी लोकतंत्र की आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक माना जा रहा है। आने वाले समय में यह फैसला अमेरिकी राजनीति, आर्थिक नीति और संवैधानिक विचार पर गहरा प्रभाव डाल सकता है तथा दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों के लिए भी अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय बना होगा।

पहली गलती पर सुधार का अवसर, जानबूझकर की गई धोखाधड़ी पर कठोर कार्रवाई

वैश्विक स्तरपर भारत तेजी से विश्व की आगामी अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बना रहा है। वैश्विक निवेश आकर्षित करने,परतु उद्योगों की प्रतिस्पर्धी बनाने,सुख, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन देने तथा ईन और ऊर्जा बिजनेस को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार नियामकीय सुधार कर रही है।आधुनिक अर्थव्यवस्था में केवल कठोर कानून पण्डी नहीं होते, बल्कि ऐसे कानून आवश्यक होते हैं जो ईमानदार कारोबारियों को अनजाने में हुई प्रतिक्रामक जूटियों को सुधारने का अवसर दें और साथ ही जानबूझकर उपापचातों के साथ धोखाधड़ी करने वालों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करे। इसी सोच के अनुरूप नजीबशास (प्रधानमंत्री कार्यालय) अधिनियम, 2026 के माध्यम से विधिक मापद्वान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत सुधार नोटिस व्यवस्था लागू की गई है।यह सुधारभारतीय निष्पक्ष अर्थव्यस्था में दंडात्मक मानकीकरण से विश्वास-आधारित अनुपालन की ओर बढ़ावा गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एंजुकेट विरान समसुदास भावनाही गीदिया म्हराष्ट्र अधिवेशन होने के निते बताया जाएगा कि विधिक मापद्वान कर्तव्य के नीते भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की आधारशिला होनाच कई उपाेचना एक किले चीनी।एक लीटर दुध,पांच सौ ग्राम मसाला, एक फेकेट दवा या किसी इलेक्ट्रॉनिक

उपाट को खरीदता है,तब वह इस विश्वास के साथ खरीदारी करता है कि फेकेट पर अंकित मात्रा, वजन, माप,मूल्य तथा अन्य जानकारी सही है।यदि विश्वास काबार व्यवस्था की अन्धा होखति वजन,माप और पैकेजिंग में पादवीरता समाप्त हो जाए तो उपोचना संरक्षण,निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा व्यापारिक विश्वासनिश्चता तीनों प्रभावित होते हैं। इसलिए दुनियाँ के लगभग सभी विकसित देशों में लेगल मेट्रोनीज से जुड़े कठोर मानक लागू हैं। भारत भी इसी वैश्विक व्यवस्था का सटीक हिस्सा है। साधियों, अब तक की व्यवस्था में कई बार ऐसा होता था कि कोई व्यापारी,निर्माता,फैक्टर या अग्रजक केवल किसी प्रक्रियात्मक या दस्तावेजी जूटि के कारण भी दंडात्मक कार्रवाई का सामना करता था। कई मामलों में गलती धोखाधड़ी नहीं बल्कि तकनीकी अथवा प्रशासनिक चूक होती थी। इससे कोई व्यापारी तथा एमएसएमई ईकाईयों पर अनावश्यक आर्थिक कार्गनी बोझ पड़ता था। सरकार ने महसूस किया किजानबूझकर किए गए अपराध और पहली बार हुई प्रक्रियात्मक गलती में अंतर होना चाहिए। इसी सोच के तहत पहले सुधारों, फिर कार्रवाई की नीति अपनाई गई है।ईई व्यवस्था के अनुसार यदि कोई विनियमित संस्था पहली बार प्रक्रियात्मक या निष्पक्षक्रीय नियमों का उल्लंघन करती है, तो संबंधित विधिक मापद्वान अधिकारी सीधे जुर्माना या अधिवानन शुरू करने के

बजाय सुधार नोटिस जारी करेगा। इस नोटिस में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि कौन-सी कमी गई है। उसे किस प्रकार दूर करना है तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन करना होगा। यदि संबंधित संस्था समय पर जूटि सुधार देती है तो अनावश्यक मुकदमबाजी तथा दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सकेगा। इससे प्रशासनिक संसाधनों को भी बचाव होगा और उद्योग जगत में विश्वास का बहावरण बनेगा। साधियों, यह सुधार विशेष रूप से निर्माताओं,अग्रजकों पैकिंग करने वाली, ड्रैसरी, मरामत कर्तियों, व्यापारियों, वितरकों तथा रूम,लघु एवं मध्यम इकायों (एमएसएमई) के लिए महत्वपूर्ण है। अक्सर उन्हें व्यवसायों के पास बड़े उद्योगों जैसे कानूनी विधिज्ञान उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में दस्तावेजी या पंजीकरण संबंधी जूटियाँ अनजाने में हो सकती हैं। नई व्यवस्था ईमानदार व्यवसायों को बिना भय के नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित करेगी।समरार के धा भी स्पष्ट कर दिया है कि यह रहत केवल पहली बार होने वाली प्रक्रियात्मक अथवा निष्पक्षक्रीय जूटियों तक सीमित रहेगी। यदि सुधार नोटिस के बावजूद निष्पत्ति समय में अनुपालन नहीं किया जाता अथवा भविष्य में वही उल्लंघन दोहराया जात है,तो संबंधित संस्था के विरुद्ध विधिक मापद्वान अधिनियम के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था में बार- बार निरप

तोड़ने कलें के लिए दंड और अधिक कठोर बकाय तथा दुरी सुधार उल्लंघन पर लगभग आठ गुना तक लघा होगी।बार बार-बार निरप तोड़ने पर बीस गुना तक जुर्माना का प्रवधान किया गया है। इससे स्पष्ट संदेश जाता है कि सरकार ईमानदार व्यापार को प्रोत्साहित करेगी, लेकिन जानबूझकर नियमों को अवहेलना करने वालों को किसी प्रकार की सटीकता से रहत नहीं मिलेगी। साधियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने उपापचातों को आसन्न किया है कि इस सुधार से उनके अधिकार किसी भी प्रकार कमजोर नहीं होंगे। यदि कोई व्यापारी जानबूझकर कम वजन देता है, नए-नौल के उपकरणों में छेड़छाड़ करता है, बुरे जामकरी देता है, उपोपकाओं को फोड़ा देता है या बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध बिना किसी छिछाई के तत्काल कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।अतएव यह सुधार केवल ईमानदार व्यवसायों को रहत देने के लिए है, धोखाधड़ी करने वालों को संरक्षण देने के लिए नहीं।सुधार नोटिस व्यवस्था मुख्य रूप से उन मामलों पर लागू होगी जो प्रक्रियात्मक और निष्पक्षक्रीय प्रकृति के हैं। इसमें पंजीकरण आवश्यकताएँ, दस्तावेजी का दायरा, रिहाई संधारण,मॉडल अनुमोदन,बाट एवं मध्यपकरणों का निर्माण, बिजने और मरामत, अथवा संयंकी प्रक्रियाएँ, पैकेटबंद वस्तुओं के नियम,वैश्विक

वोधरण तथा नियत समय में रिटर्न दाखिल करना जैसी व्यवस्थाएँ शामिल हैं। इन क्षेत्रों में पहली बार हुई जूटि पर सुधार का सटीकता से अवसर दिया जाएगा। साधियों,विधिक मापद्वान अधिनियम की अनेक धाराएँ इस सुधार के दायरे में लई गई हैं।इसमें धारा 25 (गैर- मानक बाट या माप का उपयोग), धारा 27 (गैर-मानक बाट या माप का निर्माण या बिजने),धारा 28 (निर्धारित मानकों के विरुद्ध लेन- देन),धारा 29 (गैर- मानकइकाइयों का उद्घरण प्रकाशन), धारा 31 (आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करना), धारा 32 (मॉडल अनुमोदन प्राप्त न करना), धारा 34 (गैर-मानक बाट या माप से बिजने या वितरण), धारा 35 (गैर-मानक बाट के आधार पर सेवाएँ प्रदान करना), धारा 36(1) (गैर- मानक पैकेजिंग वालों वस्तुओं की बिजने),धारा 38 (पंजीकरण के बिना अथवा), धारा 39 (गैर-मानक बाट और माप का अभाव), धारा 41(1) एवं 41(2) (बुरे जामकरी या बुरे वितरण देना), धारा 45 (बिना पंजीकरण निमेष), धारा 46 (बिना पंजीकरण मरामत, बिजने या व्यवहार) तथा धारा 47 (पंजीकरण प्रमाणपत्र में छेड़छाड़) जैसे प्रावधान शामिल हैं। साधियों, इन धाराओं में पहली बार की प्रक्रियात्मक चूक पर सुधार नोटिस का लाभ मिल सकेगा, जबकि गंभीर या जानबूझकर किए गए अपराधों में कठोर कार्रवाई

थावत जारी रहेगी। यह सुधार वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रहे रिस्पेसिव गोलुनरन , ट्रेट - बेरड कनेस तथा कमपायस फाट , पागोपे लीटर जैसे सिद्धांतों के अनुरूप है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में निष्पक्ष संस्थाएँ पहले व्यवसायों को नियम समझाती हैं, सुधार का अवसर देती हैं और केवल बार-बार उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई करती हैं। भारत को नई व्यवस्था भी इसी आधुनिक निष्पक्षक्रीय दर्शन को और बढ़ावा दकर है। साधियों, विश्व बैंक,आर्थिक सहयोग और विकास संगठन सहित अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ लंबे समय से यह सुझाव देती रही हैं कि नियमान का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि अनुपालन सुनिश्चित करना होना चाहिए। यह व्यवसाय व्यव्ध में नियमों का पालन करें तो मुकदमों, निरोधों और प्रशासनिक लगान में उल्लेखनीय कमी आती है। भारत का यह सुधार इसी दिशा में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। साधियों, विश्व स्तर से मेक इन इंडिया,असमिमेर भारत, स्टार्टअप इंडिया तथा एमएसएमई विकास जैसे कार्यक्रमों को इससे अतएव लाभ मिलने की संभावना है।

स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुतला फूंककर की कार्रवाई की मांग



कुशीनगर। विष्णुपुर क्षेत्र के भरपटिया में मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता पप्पू पांडेय के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर विरोध जताया और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम का संचालन भाजपा मंडल विष्णुपुर के मंत्री मनोज गौड़ ने किया। प्रदर्शन के दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पप्पू पांडेय ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा भगवान राम और हिंदू देवी-देवताओं को लेकर की गई कथित टिप्पणियों से समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय की आस्था पर बार-बार टिप्पणी करना उचित नहीं है। पप्पू पांडेय ने आरोप लगाया कि इस प्रकार के बयान समाज में तनाव और वैमनस्य का माहौल पैदा कर सकते हैं। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन करने पर विचार करेंगे। प्रदर्शन में मनोज राजभर, अर्जुन राजभर, विशाल गुप्ता, कैलाश मुसहर, गमह राजभर, परमा प्रसाद, शैलू देवी, इंदु देवी, पिकी देवी, शिता देवी, मंजू देवी, जसोदा देवी, होसमती देवी, रमू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। गौरतलब है कि यह बयान और मांग प्रदर्शनकारियों के विचार हैं। किसी व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसी कार्रवाई का निर्णय संबंधित जांच और सक्षम कानूनी प्राधिकरणों द्वारा तथ्यों एवं कानून के आधार पर किया जाता है।

टीईटी से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की मांग, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सांसद विजय दूबे को सौंपा ज्ञापन



कुशीनगर।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अभियान के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग) की जिला इकाई कुशीनगर ने मंगलवार को कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दूबे को ज्ञापन सौंपकर टीईटी लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने तथा उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग उठाई। गोरखपुर मंडल अध्यक्ष राजेश शुक्ल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को अवगत कराया कि राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2010 तथा उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के समक्ष सेवा सुरक्षा का गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है। उन्होंने सांसद से अनुरोध किया कि आगामी सांसद के मानसून सत्र में इस विषय को प्रमुखता से उठाया जाए। महासंघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि संबंधित शिक्षकों की नियुक्तियां उस समय लागू नियमों एवं वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत हुई थीं। ऐसे में वर्षों की सेवा के बाद नई पात्रता संबंधी शर्तों को पूर्व प्रभाव से लागू करना न्याय, समानता और विधिक निश्चितता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। इससे हजारों शिक्षकों एवं उनके परिवारों के सामने असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गोरखपुर मंडल अध्यक्ष राजेश शुक्ल ने कहा कि टीईटी लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पर किसी भी प्रकार का संकट न्यायसंगत नहीं है। महासंघ शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक माध्यमों से निरंतर प्रयास करता रहेगा। जिलाध्यक्ष अविनाश शुक्ल ने कहा कि प्रदेश के लाखों शिक्षक सरकार एवं जनप्रतिनिधियों से संवेदनशील और न्यायपूर्ण निर्णय की अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवा अधिकारों की रक्षा के लिए शीघ्र सकारात्मक पहल की जाएगी। जिला महामंत्री दिलीप पाण्डेय एवं संयुक्त महामंत्री महेश कर्णधार ने सांसद से अनुरोध किया कि इस विषय को सांसद में प्रमुखता से उठाते हुए सेवा अधिकार, वरिष्ठता, पेंशन तथा अन्य वैधानिक लाभों की सुरक्षा के लिए आवश्यक विधायी, नीतिगत अथवा प्रशासनिक समाधान सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाए। महासंघ ने आशा व्यक्त की कि सरकार और जनप्रतिनिधि इस विषय पर गंभीरता से विचार कर शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। इस अवसर पर जिला संगठन मंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी, अमर प्रकाश पाण्डेय, सुकरीली अध्यक्ष श्याम सुंदर तिवारी, सुनील कुमार सहित अनेक शिक्षक उपस्थित रहे।

पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा 1 व 2 जुलाई को कुशीनगर दौरे पर

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राय आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा 1 एवं 2 जुलाई को कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे समीक्षा बैठक, जनसुनवाई एवं जन चौपाल कार्यक्रम में भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित होगी। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे तहसील कसया में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं 2 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे विकास खंड फाजिलनगर की ग्राम पंचायत महुआवा कारखाना स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में जन चौपाल का आयोजन होगा। प्रशासन ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं एवं शिकायतों के समाधान के लिए निर्धारित तिथि और स्थान पर उपस्थित होकर आयोग के सदस्य के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं।

यह तो तानाशाही की पराकाष्ठा है - वीरेंद्र चौधरी

भाजपा कुछ भी कर ले, देश जानता है राम मंदिर के प्रति कांग्रेस का योगदान



फरेंदा - महाराजगंज।

फरेंदा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी को सोमवार की रात को उनके सिंहपुर स्थिति आवास पर ह्वाउस अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं और कांग्रेस सांसदों के साथ मंगलवार को अयोध्या श्री राम मंदिर में दर्शन को जाना था। इसके लिए कांग्रेस की तरफ से एक कार्यक्रम तय किया गया था लेकिन अयोध्या पहुंचने के पहले सभी कांग्रेस नेताओं को उनके ठिकानों पर पुलिस पहले दारी में रोक लिया गया। ह्वाउस अरेस्ट के बाद

विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि जबसे अयोध्या पर ब्रोजेपी,आर एस एस और बीएचपी का वर्चस्व बढ़ा है तभी से करोड़ों हिंदुओं के आस्था का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अयोध्या का राजनीतिकरण हो गया। उन्होंने कहा कि अयोध्या के इतिहास को देखें तो इसमें कांग्रेस के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में ही गृहमंत्री रहे सुबोधकांत सहाय के समय ही मंदिर का शिलान्यास हुआ था जिसके साथी बिहार के दलित नेता कामेश्वर चौपाल और गोरखपीठ के महंत ब्रह्मलीन अवेदानाथ रहे हैं। लेकिन तब अयोध्या से राजनीतिक फायदा न

देख भाजपा ने इसे मानने से इन्कार कर दिया और लालकृष्ण आडवाणी रथयात्रा लेकर निकल पड़े। विधायक चौधरी ने कहा कि अयोध्या किसी की जागीर नहीं है।

ह्वाउस अरेस्ट को सरकार की तानाशाही पर कहा कि ये वे लोग हैं जो अपनी के अलावा वहां किसी को देखना तक नहीं चाहती। उसे धर्म के आड़ में उसके काले कारनामे के भंडाफोड़ का खतरा है। कहा कि हम अयोध्या किसी जांच को प्रभावित करने या किसी प्रशासनिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे थे। हमारा उद्देश्य केवल प्रभु श्रीराम के दर्शन करना था। दर्शन करना हर श्रद्धालु का अधिकार है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा भी यही सिखाती है। लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन प्रभु श्रीराम के दर्शन कर सकते हैं, तो फिर एक जनप्रतिनिधि और उसके साथ आए प्रतिनिधिमंडल को किस आधार पर रोकेंगे? क्या किसी व्यक्ति की राजनीतिक विचारधारा उसके धार्मिक अधिकारों से बड़ी हो गई है? सच यह है कि जो लोग भ्रष्टाचार और चंदे की कथित चोरी जैसे मुद्दों पर कठोर कार्रवाई नहीं कर पाए, वही आज एक हिंदू को प्रभु श्रीराम के दर्शन करने से रोक रहे हैं।

अचानक बरियारपुर नगर पंचायत पहुंचे जिलाधिकारी, दफ्तर में मची खलबली



देवरिया।

स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने और नागरिक सुविधाओं की धरातलीय इक्रीकत जानने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने मंगलवार की शाम करीब 4:50 बजे नगर पंचायत बरियारपुर कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया। कार्य अवधि समाप्त होने से ठीक पहले हुए इस औचक निरीक्षण से पूरे दफ्तर में खलबली मच गई। हालांकि,

उपस्थिति पंजिका के अवलोकन के दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी पटल पर उपस्थित पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्र की साफ-सफाई, बुनियादी निर्माण कार्यों की प्रगति और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के काउंटरों का गहन स्थलीय जायजा लिया। उन्होंने पटल सहायकों से प्रमाण पत्रों के लंबित आवेदनों की स्थिति पूछी और कड़ा निर्देश दिया कि इस आवश्यक जनसुविधा से जुड़ा कोई भी आवेदन तय समय

अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेश राजभर की मौजूदगी में परखी जनसुविधाएं कहां-फरियादियों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से मिले मुक्ति

सीमा से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। कलेक्ट्रेट के इस रुख से साफ है कि प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब किसी भी आम आवेदक को अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कार्यालय में मौजूद संसाधनों को समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि नगर पंचायत में कुल 40 सफाई कर्मी नियमित रूप से तैनात हैं। जिलाधिकारी ने निकाय प्रशासन को निर्देश दिया कि आगामी पवों और संचारी रोगों को देखते हुए सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेश राजभर सहित निकाय के अन्य प्रमुख लिपिक उपस्थित रहे।

नए सत्र से पहले आश्रम पद्धति स्कूल का डीएम ने किया निरीक्षण, तैयारियों को परखा

देवरिया। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। बुधवार से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र के मद्देनजर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने मंगलवार की शाम करीब 4:30 बजे मेहरौना स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने नए सत्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि छत्र-छत्राओं के पठन-पाठन और मूलभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर की साफ-सफाई, पेयजल, पाठ्य-पुस्तकों, कॉपीयों और स्टेशनरी की उपलब्धता की बारीकी से पड़ताल की।

खुदुरा में खूंखार बंदर का आतंक बरकरार- मजदूर पर हमला, 7 टांके लगे; 20 दिनों में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल

कुशीनगर।

खिन्दर नगर धूस थाना क्षेत्र के खुदुरा गांव में एक खूंखार और आक्रामक बंदर का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को बंदर ने मकान निर्माण कार्य में लगे एक मजदूर पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल मजदूर के हृथ में गहरा घाव होने के कारण 7 टांके लगाने पड़े। घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश दोनों बढ़ गए हैं। जानकारी के अनुसार शाहपुर कलवा पट्टी निवासी 35 वर्षीय सुरेश यादव पुत्र जदुनंद यादव खुदुरा गांव में एक मकान की छत डालने के कार्य में मजदूरों के साथ लगा हुआ था। इसी दौरान अचानक पहुंचे बंदर ने उस पर हमला कर दिया और हाथ को बुरी तरह नोच डाला। गंभीर रूप से घायल सुरेश को जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान उसके हृथ में 7 टांके लगाए गए। ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल में एंटी-रेबीज



इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण घायल को गोरखपुर जाकर इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी गई। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले करीब 20 दिनों से बंदर का आतंक जारी है और वह अब तक आधा दर्जन से अधिक लोगों को घायल कर चुका है। इससे पहले खुदुरा गांव के 84 वर्षीय

सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक रमेश मिश्रा, उनके पुत्र सत्य प्रकाश मिश्रा, धर्मपुर बुजुर्ग निवासी विपिन सिंह, पलिया निवासी इब्बर मिश्रा, बंझम प्रताप सिंह तथा चंदन मिश्रा सहित कई लोग बंदर के हमले का शिकार हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बंदर बेहद आक्रामक हो चुका है और कई बार घरों में घुसकर भी लोगों पर हमला कर देता है। इसके चलते बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में भय का माहौल बना हुआ है। लोग घरों से बाहर निकलने और खेत-खलिहानों में जाने से भी डरने लगे हैं। लगातार हो रहे हमलों के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने हुए बंदर को पकड़वाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते बंदर को नहीं पकड़ा गया तो किसी दिन कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। एक ओर बंदर का बढ़ता आतंक और दूसरी ओर अस्पताल में एंटी-रेबीज इंजेक्शन की अनुपलब्धता ने ग्रामीणों की चिंता और नाराजगी दोनों बढ़ा दी है।

भारत विकास परिषद तथागत शाखा की नई कार्यकारिणी का गठन, प्रदीप चहाड़िया बने अध्यक्ष



कुशीनगर। भारत विकास परिषद, तथागत शाखा कुशीनगर की कार्यकारिणी की एक आवश्यक बैठक मंगलवार को श्री प्रदीप चहाड़िया के निजी प्रतिष्ठान पर आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से सत्र 2026-27 के लिए अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं महिला संयोजिका पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न की। निर्वाचन के दौरान परिषद में पिछले चार वर्षों से उपाध्यक्ष के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे समाजसेवी प्रदीप चहाड़िया को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। वहीं विपिन मल्ल को सचिव, राधा रमन गाड़िया को कोषाध्यक्ष तथा दीपाली श्रीवास्तव को महिला संयोजिका निर्वाचित किया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में परिषद अपने सेवा, संस्कार और समर्पण के उद्देश्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी तथा शाखा नई उपलब्धियां हासिल करेगी। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने परिषद के प्रति आभार व्यक्त करते हुए संगठन की गरिमा बनाए रखने तथा सामाजिक एवं राष्ट्रहित के कार्यों को प्राथमिकता देने का संकल्प व्यक्त किया।

मानसून की लेटलतीफी, रात में भी दिन जैसी गर्मी का एहसास, आज से अगले छह दिन राहत की फुहार के आसार

नई दिल्ली । मानसून की लेटलतीफी से सूरज कड़े तेवर के बीच दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। आसमान से ऐसा लग रहा है मानों आग बरस रही हो। मौसम शुष्क बना रहने की वजह से दिन के साथ रात के तापमान में भी इजाजत हो रहा है। सोमवार को भी लोग गर्मी और उमस से परेशान नजर आए। दिल्ली

में अमल तापमान के मुकामले गर्मी अधिक महसूस की गई। याददात इलाकों में सुबह से ही तेज धूप निकली। दिन चढ़ने के साथ धूप और तेज होती गई। दिल्ली में अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन होट इंडेक्स यानी महसूस होने वाला तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं, न्यूनतम तापमान

31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन दिनों रात में भी दिन के जैसा गर्मी का अहसास हो रहा है। दिल्ली में अगले छह दिनों तक मौसम का मिजाज बदला-बदला रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में 30 जून से 5 जुलाई के बीच मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं, मौसम विभाग की भविष्यवाणी है

कि 2 जुलाई से उत्तर-पश्चिम भारत पर एक नए पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। इसका असर 30 जून की सुबह देखने को मिल सकता है। इन दिनों आसमान में आँकड़ का समय गवज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में अब केवल अधिकतम तापमान छह गर्मी को गंभीरता तय नहीं करेगा। आने वाले

समय में होट इंडेक्स (फील्स लाइव टेम्परेचर) ही लोगों के लिए असली खतरे का पैमाना बनता जा रहा है। इसकी वजह गर्म और जून के दौरान हवा में लगातार बढ़ने वाली आर्द्रता है, जो वास्तविक तापमान से कहीं अधिक गर्मी का एहसास कराती है। दिल्ली में इसका असर पिछले कुछ साल में लगातार देखने को मिला।

दिल्ली में आमतौर पर जून और जुलाई के दौरान नहीं बढ़ जाती है, जिससे होट इंडेक्स या महसूस होने वाला तापमान बढ़ जाता है। साथ ही, इस सीजन दिल्ली में लू के तीन दौर अप्रैल, मई और जून में देखे गए। मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो, 5 जुलाई 2025 को वास्तविक तापमान 37.1 डिग्री

सेल्सियस था, लेकिन लोगों ने 54 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी महसूस की। इसी तरह 22 मई 2024 को तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जबकि होट इंडेक्स 55.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस साल भी जून के अंतिम दिनों में यही स्थिति देखने को मिल रही है। पिछले तीन दिन से फील्स लाइव

तापमान लगातार 50 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। 27 जून को अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि होट इंडेक्स 51.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 28 जून को वास्तविक तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन महसूस होने वाला तापमान 50.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।



नई दिल्ली। दिल्ली में मंगलवार को मतदाता सूची के विरोध गठन पुनरीक्षण (एसआईआर) की शुरुआत होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना गणना प्रश्न भरा और लोगों से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया। अधिकारियों ने बताया कि एक महीने तक चलने वाले एसआईआर अभियान के दौरान

13,000 से अधिक नए स्टरीय अधिकारी (बीएलओ) राजधानी के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को गणना प्रश्न भरेंगे। सीएम की अपील सक्रिय रूप से भाग ले जनाता मुख्यमंत्री ने एएस पर एक पोस्टर में बताया कि उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्यों का विवरण भरकर गणना फॉर्म जमा कर दिया

है। गुप्ता ने मतदाताओं से इस महत्वपूर्ण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की भी अपील करते हुए कहा कि इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। उन्होंने कहा, अपना गणना प्रश्न समय पर भरें और अपने बीएलओ को जमा करें। एक स्टरीक और अद्यतन मतदाता सूची हो मजबूत लोकतंत्र की नींव है। आइए, जागरूक नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएं। लोकतंत्र के इस महान यज्ञ में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। एक महीने तक चलेगा घर-घर मतदाता सत्यापन अभियान

अधिकारियों ने बताया कि बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि वे सुबह जल्दी और रात के समय, जब लोग घर पर मौजूद हों, घर-घर जाकर सत्यापन करें। इसके लिए राक्षिक और रक्षिक को भी अभियान चलाना जाएगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कर्णालय के अधिकारियों के अनुसार, एक महीने तक चलने वाले घर-घर मतदाता सत्यापन अभियान के लिए 13,000 से अधिक बीएलओ तैनात किए गए हैं। यह अभियान 29 जुलाई को समाप्त होगा। गणना प्रश्न प्राप्त अवदूर सभी



मतदाता को भरना होगा दिल्ली में भाग्यता प्राप्त वननीतिक दल भी अपने नए स्टरीय एजेंटों (बीएलओ) के गणना से इस घर-घर सर्वेक्षण में भाग ले रहे हैं, ताकि

लोगों को प्रश्न भरने और जमा करने में सहायता मिल सके। राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूची के अंतर्गत 13,033 मतदाता केंद्र हैं। एसआईआर के दौरान बीएलओ प्रत्येक मतदाता को गणना प्रश्न की दो प्रतियां देंगे, जिन्हें 2002 में हुए पिछले एसआईआर के आधार पर अपने जासूसी भरने होंगी। इसमें से एक प्रति सीपीओ पत्रों के रूप में मतदाता के पास रहेगी, जबकि दूसरी प्रति बीएलओ को वापस करनी होगी। गणना प्रश्न के साथ कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत

नहीं है। हर मतदाता को यह गणना प्रश्न भरना होगा ताकि मतदाता अवदूर को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में उनके नाम शामिल हो सकें। सीईओ कर्णालय के मुताबिक, जो लोग गणना प्रश्न नहीं भरेंगे, उनके नाम पांच अमल को जारी होने वाली मसीदा मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। घर-घर सर्वेक्षण के दौरान यदि कोई घर बंद मिलता है, तो संबंधित बीएलओ वहां कम से कम तीन बार जाएंगे। दिल्ली में कुल 1.45 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें 77.11 लाख पुरुष और 67.98

लाख महिला मतदाता शामिल हैं। शर्द्ध जेड के मतदाताओं की संख्या 1,024 है, जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 76,155 है। यदि कोई मतदाता 2002 के बाद दिल्ली में अकर बस गया है, तो उसे अपने मूल राय में हूँ पिछली एसआईआर की जानकारी भी प्रश्न में भरनी होगी, जहां वह पहले मतदाता के रूप में पंजीकृत था। सभी रायों की मतदाता सूचियां निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध हैं। मतदाता अपने गणना प्रश्न का विवरण ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं।

मणिपुर में एनएच-2 पर प्रदर्शन- सुरक्षा बलों ने छोड़े आंसू गैस के गोले, कुकी-जो समुदाय का मार्च रोका



इंफाल। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-2 (एनएच-2) पर आवश्यक वस्तुओं की निषेध आपूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर कुकी-जो समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जब गणगोपई स्थित बजर जैन की ओर मार्च करते हुए आगे बढ़ने लगे तो सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक शरिरेष बना रहा और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले और धुआं बम का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन का आवेगजन कुकी-जो समुदाय के संपन्न कपेटो और टूटनल युनिटी ने किया था। प्रदर्शनकारी तालीम क्षेत्र में एकत्र हुए और वहां से बजर जैन की ओर मार्च शुरू किया। संपन्न का आरोप है कि कांगलटोपों क्षेत्र के आसपास राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर आवश्यक वस्तुओं की अवाजहो लंबे समय से प्रभावित

है, जिससे कुकी-जो बहाल इलाकों में खाद्यान्न, दवाइयों और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति बाधित हो रही है। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को बजर जैन पार कर आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर बैठ गए, जिससे कुछ समय के लिए वातावरण प्रभावित रहा। बाद में सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़कर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाना और स्थिति को नियंत्रण में लिया। संपन्न ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कई बार जापन सौंपे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित रहने से संबंधित क्षेत्रों में सामान की कमी और कोमल में बढ़ेगी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा एजेंसियों से निष्पक्ष तरीके से काम करने और राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर आवश्यक वस्तुओं की निषेध अवाजहो बंद बहाल करने की मांग की। हालांकि, सभाकार लिखे जाने तक प्रदर्शनकारियों के आरोपों पर राय सरकार या सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी। उल्लेखनीय है कि मणिपुर में मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद से राष्ट्रीय राजमार्ग-2 राय की सबसे महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइनों में से एक बना हुआ है। इसी मांग से राय के विभिन्न हिस्सों तक खाद्यान्न, दवाइयां, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होती है। ऐसे में इस राजमार्ग पर किसी भी तरह का व्यवधान जनजीवन और आपूर्ति व्यवस्था पर सीधा असर डालता है। घटना के बाद इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद - बैंक खातों में मिले हैसियत से अधिक रकम के ट्रांजेक्शन, मकान-प्लॉट और हॉस्टल मिले

लखनऊ । राम मंदिर चढ़ावा जोरों के मामले की जांच में हैसियत से कई गुना ट्रांजेक्शन आरोंपियों के बैंक खातों में मिला है। साल भर में सभी आरोपियों के खातों की डिटेल् में हैसियत से याद रकम के ट्रांजेक्शन के सबूत मिले हैं। एसआईटी और पुलिस ने इसको सबूत के तौर पर जांच में शामिल किया है। सभी के मकान, प्लॉट और हॉस्टल समेत कई संपत्तियों का ब्योरा जुटाकर उसकी कीमत का अकलन किया जा रहा है। वहीं पुलिस अनिल और गोपाल को भी नॉटिस जारी कर चुकी है। लेकिन दोनों ने अभी तक फुलाल नहीं की गई है। प्रकरण में एसआईटी और पुलिस दोनों की जांच चल रही है। पुलिस ने भी बैंकों से आरोपियों के बैंक खातों का विवरण मांगा था। इसमें आरोपियों के कई परिवार बलों के खाते भी शामिल हैं। एक-एक आरोपी व उनके परिवारों के खातों में जिनसे रकम का ट्रांजेक्शन हुआ है, उमका उमकी रकम से मिलान नहीं हो सका। क्योंकि कमाई न के बराबर है और रकम इधर-उधर लाखों-करोड़ों की हुई है। सबूत यह साबित करने के लिए काफी है कि आरोपियों ने जो रकम चढ़ावे की पार की, उसे



साल भर में सभी आरोपियों के खातों की डिटेल् में हैसियत से याद रकम के ट्रांजेक्शन के सबूत मिले हैं। एसआईटी और पुलिस ने इसको सबूत के तौर पर जांच में शामिल किया है। सभी के मकान, प्लॉट और हॉस्टल समेत कई संपत्तियों का ब्योरा जुटाकर उसकी कीमत का अकलन किया जा रहा है। इधर-उधर खपाई। टिप्पू के हॉस्टल के दस्तावेजों की भी जांच है। उन उसकी जांच की जा रही है। वह पता लगाया जा रहा है कि इतनी रकम उसके पास कहाँ से आई। वहीं,

एसआईटी के प्रमुख तीनों अधिकारों लुधनार या बुधनारतार को दोबारा अयोग्यता पहुंच सकते हैं। हालांकि एसआईटी से जुड़े अन्य कर्मचारी व अधिकारी अयोग्यता में हैं। जवाब की जाएंगी संपत्तियां सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच दिशा में चल रही है कि आरोपियों ने चोरी की कमाई से जो भी संपत्तियां बनाई हैं, उनकी जवाब करने की कार्रवाई करनी है। यहां तक कि एसआईटी ने अनुकल्प द्वारा कमाई गई कमा की भी ब्योरा जांच में शामिल किया है, जिसमें पांच लाख रुपये से अधिक का खर्च किया गया था। जबकि अनुकल्प की सैलरी सिर्फ 18 से 20 हजार रुपये हो थी।

आज से पेट्रोल-डीजल में होने जा रहे बड़े बदलाव, सरकार ने हटाया प्रतिबंध

नेशनल डेस्क । सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खरीद को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए प्रति व्यक्ति और प्रति वाहन ईंधन खरीद पर लागू 200 लीटर की अधिकतम सीमा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह नई व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होगी, जिसके बाद उपोका अपनी आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीद सकेंगे। सरकार ने 12 जून को जारी आदेश के तहत रिटेल पेट्रोल पंपों से एक वाहन के लिए प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर पेट्रोल या डीजल की बिक्री की सीमा तय की थी। इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट कंपनियों और बड़े वाहनों के संचालकों को एक बाधा में पड़ी। ईंधन भरवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार के अनुसार, यह सीमा थोक खरीददारों को रिटेल पेट्रोल पंपों से प्रत्येक ईंधन में ईंधन खरीदने से रोकने के उद्देश्य से लगाई गई थी। अधिकारियों का मानना था कि थोक खरीद के कारण आम उपोकाओं के प्रत्येक ईंधन की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

मनरेगा के बकाया और जी राम जी के प्रावधानों पर जवाब दे सरकार - खरगे

नई दिल्ली । कृषि अध्यक्ष मंत्रीखर्गे ने किसानों भारत-जी राम जी अधिनियम लागू होने से एक दिन पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी पर प्रामीण भारत से काम का अधिकार होने का आरोप लगाया और कहा कि महाना गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के बकाया भुगतान में नई योजना के विभिन्न प्रावधानों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत, 2026 तक 34 रा्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मनरेगा के तहत 17,144.13 करोड़ रुपये बकाया था और इसमें 7,846.25 करोड़ रुपये की मनदूरी देयदारी शामिल है, जिसका भुगतान अब तक मनदूरों को नहीं किया गया है। खरगे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एक जुलाई से केंद्र सरकार ने रा्यों पर नई योजना विकसित भारत-जी राम जी लागू की है लेकिन मनरेगा का बकाया भुगतान अब तक नहीं किया गया है। कृषि



अध्यक्ष ने दावा किया कि कनट्रेक के 700 करोड़ रुपये और ब्रासखंड के 900 करोड़ रुपये सहित कई रा्यों को बकाया राशि नहीं मिली है। खरगे ने कहा, कृषि के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शुरू की गई मनरेगा में कई रा्यों ने विशेष किया है, लेकिन केंद्र सरकार इसे किसानों और ग्रामीण मनदूरों पर थोप रही है। कृषि अध्यक्ष ने दावा किया कि 125 दिनों के रोजगार के वादे की पूरा करने के लिए

और बिहार सहित कई रा्यों ने भी इस विरोधी व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग की है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि नई योजना के तहत खेतों के अंश मौसम में 60 दिनों तक रा्यों के प्रभावित का नई रा्यों ने विशेष किया है, लेकिन केंद्र सरकार इसे किसानों और ग्रामीण मनदूरों पर थोप रही है। कृषि अध्यक्ष ने दावा किया कि 125 दिनों के रोजगार के वादे की पूरा करने के लिए

मध्य प्रदेश पर 20,037 करोड़ रुपये और बिहार पर 15,939 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कम से कम पांच रा्यों ने मनरेगा मनदूरी बढ़ाने की मांग की है। खरगे ने दावा किया कि जून में माध्यम से 42 प्रतिशत काम बारिश हुई है और खरीफ फसलों की बुआई में 22.7 प्रतिशत की कमी आई है। उनका कहना था कि 300 से अधिक जिले सूखे की चपेट में आ सकते हैं और ग्रामीण भारत में अजीबसा का संकट उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने स्वागत किया कि ऐसी स्थिति में मनरेगा को खल करना क्या मनदूरी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीबों पर हमला नहीं है?

भविष्य में युद्ध ज्यादा एकीकृत और समन्वित सैन्य अभियान केंद्रित होंगे- जनरल द्विवेदी



नई दिल्ली । सेना प्रमुख के पद से आज सेवानिवृत्त हुए जनरल जेद द्विवेदी ने कहा कि भविष्य में युद्ध अधिक एकीकृत, संयुक्त एवं समन्वित सैन्य अभियान पर केंद्रित होंगे इसलिए सशस्त्र बलों की दिशा स्पष्ट होनी चाहिए। साथ मिलकर देखना, साथ मिलकर निर्णय लेना और साथ मिलकर कार्रवाई करना। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल द्विवेदी 40 साल से अधिक की सेवा के बाद मंगलवार को सेनाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्हें साइब ब्रीक के साथ और भी अधिक एक औपचारिक

विदाई समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस कार्यक्रम से इतर जनरल द्विवेदी ने मीडियाकर्तियों से कहा, आज, जब मैं सेनाध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर रहा हूँ तो मुझे अत्यंत कृतज्ञ, गंव और सतुष्टि महसूस हो रही है। जनरल द्विवेदी ने जून 2024 में 30वें सेना प्रमुख का पद संभाला था। उन्होंने कहा, सैनिक स्वतंत्र से लेकर अब तक का सफर बहुत शानदार रहा है। चार दशक से अधिक समय तक भारतीय सेना की सेवा कराना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। पूर्व सेना प्रमुख ने

कहा कि भारतीय सेना की अपनी ताकत किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों, परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट भरोसे से मिलती है। उन्होंने कहा, मैं अपनी सेना के वीर नायकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। विवाद समारोह से पहले जनरल द्विवेदी ने राष्ट्रीय सशस्त्र बलों का दौरा किया और देश के बहादुर सैनिकों को ब्रह्मर्षि देते हुए वहां पूर्णजल अर्पित की। सेना ने एक्स पर एक पोस्टर में इस दौर की तस्वीरें साझा करते हुए कहा, सेना प्रमुख के पद से कायमक होने के दिन जनरल जेद द्विवेदी ने राष्ट्रीय सशस्त्र बलों पर पूर्णजल अर्पित की। उन्होंने उन बहादुर सैनिकों के अद्वय साहस, अटूट नीरता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया, जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राण खोखार कर दिए। जनरल द्विवेदी ने प्रशंसकों को बताया कि पिछले दो साल में भारतीय सेना ने सभी मोर्चों पर अपनी अभिव्यक्ति तैयारी को लगातार बेहतर बनाए रखा है।

20 जुलाई से शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र

नई दिल्ली । संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो सकता है। अधिकारियों के अनुसार, इसके लगभग तीन सप्ताह तक चलने की संभावना है। हालांकि, संसदीय मामलों की भविष्यवाणी समिति (मोडरेटर) ने अभी इस संबंध में अंतिम फैसला नहीं किया है। अमतौर पर मानसून और शीतकालीन सत्र में 20 बैक होती हैं और ये चार सप्ताह तक चलते हैं। हालांकि, इसमें पहले कम अधिक के सत्र भी आयोजित किए जा चुके हैं। यह मानसून सत्र पहिल बंगाल, असम और पूर्वोत्तर में सतारकृ भानवा की जीत के बाद आयोजित होने जा रहा है।

आगामी सत्र में तृणमूल कांग्रेस और शिक्सेना (यूबीटी) में बाधात का मुद्दा भी देखने को मिल सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिस्मिल के समक्ष तृणमूल कांग्रेस के 20 और शिक्सेना (यूबीटी) के छह संसदीयों की अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग लक्षित है। इस पर उनके फैसले का इंतजार है। वहीं, खसस में नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित संसदों के शपथ लेने के बाद सदन में राजनीतिक घर्षणाएं सतारकृ एनडीए के पक्ष में और मजबूत हुए हैं। पिछला संसद सत्र सरकार के लिए निराशाजनक रहा था। लोकसभा में वह

संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका, जिसके जिएर वर्ष 2029 से विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव था। सरकार अब इस विधेयक का नया मसौदा तैयार कर रही है। इसमें सभी रा्यों की लोकसभा सीटों में समान रूप से 50 प्रतिशत बढ़ावा देने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का मुद्दा लंबे समय से दक्षिण भारत के राजनीतिक दलों की प्रमुख चिंताओं में शामिल रहा है।

अगर कोई ट्रस्टी मुसलमान होता तो एनकाउंटर कर देते..., राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर ओवैसी ने सरकार पर साधा निशाना

नई दिल्ली । अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा जोरों गमले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। इस कड़ी में अल इंडिया मजलिस-ए-इस्लामूल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुल्ला ओवैसी ने मंदिर में चढ़ावा जोरों को लेकर योगी सरकार पर तंज करा है। ओवैसी ने कहा कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान सदस्य होता तो सरकार उसका एनकाउंटर कर देती



और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया होता है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में हई प्रोफाइल आरोंपियों को हिरासत तक नहीं भंग रही है। ओवैसी ने ये कहा, उन्हें एक मुस्लिम को ट्रस्टी बनाकर मामलों को उसके मुठभेड़ और उसके घर को ध्वस्त करके बंद कर देना चाहिए था, लेकिन आरोंपी मने कर रहे हैं। AIMIM प्रमुख ने राम मंदिर ट्रस्ट के

महसूबिन का जिक्र करते हुए कहा, चंपा राय मने कर रहे हैं। चंपा राय ने दान जोरों का मामला सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। ओवैसी ने यही सरकार से स्वागत किया था कि क्या आरोंपियों के पदों पर गैरों चलाई जाएंगी या बुलडोजर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरोंपी मुसलमान होता तो उसके घर बुलडोजर चला दिया गया होता।